न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–154 / 2023 दायर दिनांक– 03.07.2023

GCMS NO:- 2023/270 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. इन्द्रपाल आ0 रामकुंवार जाति माली नि0 सादेडा तहसील नैनवॉ।
2. बद्री आ0 कल्याण जाति माली नि0 सादेडा तहसील नैनवॉ।
3. सत्यनारायण आ0 मोती जाति मीना नि0 सादेडा तहसील नैनवॉ।
4. रामधन आ0 कल्याण जाति माली नि0 सादेडा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सादेडा तहसील नैनवॉ के खसरा नम्बर 364, 236, 237, 238, 244, 245, 246, 247, 509, 266, 267, 265, 949/265, 234, 234/853 स्थित है जो प्रार्थीगण सहखातेदारों की भूमि है तथा सभी अपने अपने हिस्से के अनुसार खेती काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों के आसपास के पडौसी खातेदारान प्रार्थीगण की भूमियों की सीमाओं मेरों को लेकर विवाद करते रहते है तथा आये दिन लडाई झगडा करते है तथा दिनांक 30.4.2023 को प्रार्थीगण के साथ सीमाबंदी को लेकर लडाई झगडा करने को तैयार हो गये। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 02 वर्ष से अधिक का समय होने वाला है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है। पत्रावली मे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा सीमाज्ञान किये जाने का कोई प्रमाण भी पेश नही किया गया है तथा पत्रावली मे निहित खसरा नम्बरान के समस्त खातेदारों द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। बिना विभाजन भूमि के किस हिस्से पर पत्थरगढी करवायी जावे, यह संभव नही है अतः उक्त सभी कारणों से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा